

प्रेषक,

अनिल कुमार X1,
लघुवाद न्यायाधीश,
(तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश, महोदया,
सहारनपुर।

विषय:—अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2023 बाबत शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार जैन के शिकायती प्रार्थना पत्र पर वॉछित आख्या के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदया,

उपरोक्त विषयक शिकायती प्रार्थना पत्र पर पारित माननीय निबन्धक (जे0) (गोपन) के आदेश दिनांकित 22-07-2022 के क्रम में आदरणीय महोदया के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2023 दिनांकित 10-03-2023 जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 14-03-2023 को प्राप्त कराया गया, में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि :—

1— शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रार्थना पत्र कथित रूप से दिनांक 03-07-2022 को माननीय महामहिम भारत सरकार, एवं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, एवं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सम्बोधित करते हुए प्रेषित किया जाना दर्शित होता है, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र दिनांक 19-12-2022 अर्थात् लगभग साढ़े पाँच माह पश्चात् प्रेषित किया जाना दर्शित होता है, जो प्रथम दृष्ट्या ही शिकायतकर्ता की दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

2— शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रकीर्ण वाद संख्या 40/2022 अनिल त्यागी बनाम प्रवीण कुमार आदि अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में पारित आदेश दिनांकित 02-04-2022 व प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 88/2022 किशोर शर्मा बनाम प्रवीण कुमार आदि (सही नाम किशोर शर्मा बनाम शैकी काम्बोज आदि) अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 में पारित आदेश दिनांकित 17-02-2022 का उल्लेख किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद पर रहते हुए दोनों ही मामलों में पूर्णतः विधि सम्मत आदेश पारित किए गए। पारित किए गए आदेशों में ही उक्त आदेशों की मेरिट/गुण दोष का पूर्ण उल्लेख है। (एनेक्जर संख्या-01 व एनेक्जर संख्या-02)

3— दोनों ही प्रार्थनापत्र भिन्न भिन्न तिथियों पर लम्बे अन्तराल पर अलग-2 आवेदको द्वारा संस्थित किए गए थे व किसी भी प्रार्थना पत्र में किसी भी पक्षकार द्वारा इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रश्नगत मामलों के सम्बन्ध में कोई अन्य प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि दोनों ही प्रार्थना पत्रों की विषय वस्तु व आवेदक भिन्न भिन्न थे तथा दोनों ही प्रार्थना पत्रों में अन्य तथ्यों के साथ साथ मारपीट आदि का जो घटना क्रम वर्णित किया गया था वह भिन्न-2 था। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता का यह कहना कि एक समान तथ्यों के प्रार्थना पत्रों पर पृथक आदेश पारित किए गए, पूर्णतः असत्य व निराधार है।

23/03/2023

4- यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि प्रकीर्ण वाद संख्या 88/2022 के मामले में थाना हाजा की विस्तृत आख्या प्राप्त हुई थी, जिसके प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्ण निवर्चन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17-02-2022 को निरस्त किया गया था, जबकि प्रकीर्ण वाद संख्या 40/2022 के साथ प्राप्त आख्या में अन्य कोई विशिष्ट विवरण नहीं था। प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्ता की ओर से लिखित आपत्ति भी दाखिल की गई थी, जिसका उल्लेख न्यायालय के आदेश दिनांकित 02-04-2022 में स्पष्ट रूप से किया गया है, किन्तु शिकायतकर्ता स्वयं इस तथ्य को भली भाँति जानता है और न्यायालय के आदेश में भी इस तथ्य का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 पर विपक्षीगण/प्रस्तावित अभियुक्तगण को सुनवाई का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कराने के उद्देश्य से किसी फर्जी अमित कुमार शर्मा के नाम से भी एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांकित 28-01-2022 के द्वारा आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय को प्रेषित की गई थी। (एनेक्जर संख्या-3)

न्यायालय के विस्तृत आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया। मामला चूँकि पूर्णतः सही था, इसी कारण तमामी विवेचना उपरान्त उक्त मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 147, 148, 149, 323 भा0दं0सं0 विरुद्ध अभियुक्तगण शैकी काम्बोज उर्फ विश, 2-हर्षित तथा 3-सुरेन्द्र बगाती के विरुद्ध प्रेषित किया गया तथा अवशेष अभियुक्तगण प्रवीण कुमार जैन, स्वर्ण शर्मा, संजीव कुमार, आदेश कुमार वर्मा, मेलाराम राठौर, प्रमोद कुमार, पवन शर्मा, विकास शर्मा, व अन्य भूमाफिया लोगों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित होने का उल्लेख उक्त आरोप पत्र पर किया गया है। उक्त आरोप पत्र पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 29-06-2022 के द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। (एनेक्जर संख्या-04)

5- शिकायतकर्ता द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को भी आरोपित किया गया है, जो उसकी दूषित मानसिकता को ही स्पष्ट करता है कि वह न सिर्फ न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर अपितु पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी अपने परिजन न्यायिक अधिकारियों का हवाला देते हुए उनसे भी दबाव में काम कराना चाहता है।

6- अधोहस्ताक्षरी द्वारा न तो शिकायतकर्ता के किसी भी मामले के सम्बन्ध में और न ही अपने न्यायालय में विचाराधीन रहे किसी भी मामले के सम्बन्ध में पुलिस अथवा प्रशासन के किसी भी स्तर के अधिकारी को कोई भी अवैधानिक/अनियमित करने हेतु न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप से निर्देशित किया गया। किसी भी मामले की विवेचना किया जाना विवेचना एजेन्सी/पुलिस का दायित्व है तथा न्यायालय/न्यायिक अधिकारी उक्त विवेचना में विधि विरुद्ध तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही ऐसा किया जाना सम्भव है। शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र में विवेचना प्रभावित किए जाने सम्बन्धी अधोहस्ताक्षरी पर आरोपित समस्त आरोप पूर्णतः कपोल कल्पित व वास्तविकता से परे है।

7- अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित दोनों ही आदेशों को किसी भी प्रवर न्यायालय द्वारा खण्डित किए जाने की कोई जानकारी अधोहस्ताक्षरी को आज की तिथि तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही उक्त मामले में प्राप्त आरोप पत्र पर पारित प्रसंज्ञान

आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा आज की तिथि तक खण्डित किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेशों की कोई काट नहीं होती है और उसे जिला जज, न्यायालय से भी जमानत प्राप्त नहीं होती है।

शिकायतकर्ता का अपने प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य का वर्णन स्वयं यह स्पष्ट करता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा तथ्यों एवं विधि का पूर्णतः विश्लेषण एवं निवचन करने के उपरान्त ही गुणदोष पर विधि सम्मत आदेश पारित किये जाते हैं। शिकायतकर्ता घोर मुकदमेबाज व्यक्ति है, जो अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर शिकायती प्रार्थना पत्र में अधोहस्ताक्षरी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रवर न्यायालयों को भी शामिल कर लिया गया है, कि प्रवर न्यायालय अधोहस्ताक्षरी के आदेशों को यँ ही मान लेते हैं, जबकि वास्तविक रूप से माननीय प्रवर न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश का परीक्षण गुणदोष पर ही किया जाता है।

8— अधोहस्ताक्षरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पद के सम्पूर्ण कार्यकाल में कमल नाम का कोई व्यक्ति उक्त न्यायालय में कभी भी किसी भी पद पर कार्यरत नहीं रहा है और न ही अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में कार्यरत कमल नाम के किसी व्यक्ति को जानता है। अधोहस्ताक्षरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जनपद सहारनपुर में कमल नाम के किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं रहा है।

9— जहाँ तक न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के कार्यालय में तैनात लिपिक श्री अनुज कुमार जैन का प्रश्न है, उक्त लिपिक द्वारा पेशी आदि का कार्य नहीं किया जाता था और न ही प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० आदि को प्रस्तुत किया जाता था। वास्तविक रूप से तत्समय उक्त कार्य श्री रणजीत कुमार मौर्या सहायक लिपिक द्वारा किया जा रहा था, ऐसी दशा में वास्तविक रूप से उक्त लिपिक को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में कोई जानकारी भी नहीं रहती थी, और न ही वह उक्त पत्रावलियों का सामान्यतः रख-रखाव करते थे और न ही उनके द्वारा उक्त की आदेशिकाओं के अनुपालन का सामान्यतः कोई कार्य किया जाता था।

अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में किसी भी लिपिक के बैठने की न तो कोई व्यवस्था थी, और न ही ऐसा किया जाना अनुमन्य था, और न ही कोई भी लिपिक विश्राम कक्ष में बैठता था और न ही किसी भी लिपिक को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह किसी भी मामले के पक्षकार या अधिवक्ता को लेकर अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में उपस्थित हों और न ही प्रस्तुत मामलों का शिकायतकर्ता वास्तविक रूप से कभी भी लिपिक अनुज जैन अथवा अज्ञात कमल के साथ अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में उपस्थित आया। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार एवं वास्तविकता से परे हैं।

10— वास्तविक स्थिति यह है कि शिकायतकर्ता एक मुकदमेबाज व्यक्ति है तथा शिकायतकर्ता व उसके परिजनों/संगी साथियों के विरुद्ध अनेक मामलों पंजीकृत हैं। अधोहस्ताक्षरी की जानकारी के अनुसार उक्त शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार जैन थाना मण्डी के अपराधियों की सूची के क्रम संख्या 24 पर भूमाफिया के रूप में दर्शित है, जिसके विरुद्ध उक्त थाने में ही 07 गम्भीर मामलों का विवरण दर्शित है। (एनेक्जर संख्या-05) उक्त के अतिरिक्त भी शिकायतकर्ता के विरुद्ध मामलों विविध थानों में पंजीकृत हो सकते हैं, जिनकी जानकारी इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी को नहीं है।

11- शिकायतकर्ता के परिवार में स्वयं शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्रानुसार सेवा निवृत्त माननीय न्यायमूर्ति सहित अन्य कई न्यायिक अधिकारीगण रहे हैं। शिकायतकर्ता अपने उक्त परिजनों के पद एवं नाम का दुरुपयोग करते हुए न्यायिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने हितानुरूप आदेश/कार्य करने हेतु दबाव बनाता है। इसी उद्देश्य हेतु शिकायकर्ता प्रवीण जैन द्वारा अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क के विविध प्रयास किए गए इसके द्वारा मोबाईल नम्बर 9456979616 से दिनांक 25-12-2021 को समय 5:12 पी0एम0 पर अधोहस्ताक्षरी के सीयूजी नम्बर 9412780268 (सी0जे0एम0, सहारनपुर का पदेन सरकारी मोबाईल नम्बर) पर कॉल की गई, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिसीव नहीं की गई। दिनांक 25-12-2021 को ही समय 5:43 बजे इसके द्वारा अपने रिश्तेदार माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति महोदय एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों का परिचय देते हुए 1:49 मिनट वार्ता की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों का परिचय दिये जाने पर राजी खुशी की औपचारिक वार्ता की, किन्तु वार्ता के क्रम में ही जैसे ही इसके द्वारा मुकदमों का उल्लेख किया गया अधोहस्ताक्षरी द्वारा फोन कट कर दिया गया।

इसके पश्चात् इसके द्वारा दिनांक 02-01-2022 को समय 2:59 पी0एम0 बजे इसी नम्बर से पुनः काल की गई जो 40 सेकेण्ड तक बजती रही, किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे रिसीव नहीं किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 03-05-2022 को इसके द्वारा इसी नम्बर से समय 8:59 पी0एम0 बजे कॉल की गई तथा लगभग 39 सेकेण्ड हुई वार्ता में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसे डॉटते हुए स्पष्ट किया गया कि किसी भी मुकदमे के सम्बन्ध में मुझे कभी भी कॉल न करें। **(कॉल डिटेल का विवरण एनेक्जर संख्या-06)**

12- यह व्यक्ति व इसके अन्य परिजन/परिचित संगी साथी आदि विविध आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं तथा गम्भीर आपराधिक मामलों में जमानत कराये जाने हेतु इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी पर विविध प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, इसी क्रम में इसी के परिवार की कोई महिला जिसके द्वारा स्वयं को इसकी पुत्री बताते हुए अपना परिचय आस्था जैन के नाम से देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जनपद में न्यायिक अधिकारी के पद पर कार्य करने का उल्लेख करते हुए अधोहस्ताक्षरी को मोबाईल नम्बर 9302893768 से अधोहस्ताक्षरी के सीयूजी नम्बर 9412780268 पर व्हाटसएप कॉल व व्हाटसएप मैसेजेज किए तथा अपने पिता एवं भाई के हक में आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई। दिनांक 04-02-2023 को अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के पदभार से कार्यमुक्त होने के उपरान्त उक्त सीयूजी नम्बर नवीन अधिकारी को देते समय व्हाटसएप को डिलीट किए जाने के कारण उक्त चैटिंग व व्हाटसएप कॉल का विवरण वर्तमान में अधोहस्ताक्षरी के पास मौजूद नहीं है, किन्तु कोई भी सक्षम जॉच एजेन्सी उक्त विवरण को नियमानुसार प्राप्त कर सकती है।

13- इसी महिला आस्था जैन द्वारा व्हाटसएप कॉल के साथ साथ मोबाईल नम्बर 9302893768 से ही अधोहस्ताक्षरी को सीयूजी नम्बर 9412780268 पर रेग्यूलर कॉल भी किए गए। दिनांक 03-05-2022 को समय 3:29 पी0एम0 पर लगभग 7 मिनट 11 सेकेण्ड दिनांक 04-05-2022 को समय 10:36 ए0एम0 पर 1 सेकेण्ड की मिस्ड कॉल, दिनांक 04-05-2022 को समय 10:36 ए0एम0 पर 17 सेकेण्ड की मिस्ड कॉल, दिनांक 04-05-2022 को समय 10:38 ए0एम0 पर 7 मिनट 36 सेकेण्ड की

वार्ता हुई, जिसमें इस कथित महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अपने परिजन को जमानत देने हेतु प्रार्थना की गई। जब अधोहस्ताक्षरी को उक्त महिला की वार्ताएं न्यायिक अधिकारी की गरिमा के प्रतिकूल प्रतीत हुई, तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त वार्तालाप में बाद के लगभग 4 मिनट के वार्तालाप को रिकार्ड किया गया, जिसमें उक्त कथित न्यायिक अधिकारी आस्था जैन द्वारा बाद में सॉरी भी बोली गई, उक्त के पश्चात् दिनांक 05-05-2022 को समय 8:25 पी0एम0 पर 1 सेकेण्ड की कॉल आई, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा तुरन्त काट दी गई। उसके पश्चात् दिनांक 05-05-2022 को भी समय 8:26 पी0एम0 पर कॉल की गई, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, उसके पश्चात् दिनांक 08-05-2022 को समय 8:44 ए0एम0 पर 30 सेकेण्ड तक मिसड कॉल की गई, जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिसीव नहीं की गई। आस्था जैन द्वारा किए गए कॉल कि डिटेल् (एनेक्जर संख्या-07) व कथित न्यायिक अधिकारी आस्था जैन से हुई बातचीत की रिकार्डिंग (एनेक्जर संख्या-08 पैर ड्राईव)

शिकायतकर्ता की कथित पुत्री आस्था जैन द्वारा स्वयं के महिला न्यायिक अधिकारी होने का परिचय देते हुए वार्ता की गई थी, अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह मानते हुए कि उक्त महिला द्वारा अपने पिता एवं अन्य परिजनों के प्रेम के वशीभूत होने के कारण अधोहस्ताक्षरी को कॉल व व्हाटसएप मैसेज किए गए, उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को सूचित नहीं किया गया, किन्तु अधोहस्ताक्षरी का यह अधिकार सुरक्षित है।

शिकायतकर्ता जब अपनी कथित पुत्री/परिजन महिला न्यायिक अधिकारी के माध्यम से भी अधोहस्ताक्षरी पर दबाव बनाने में नाकामयाब रहा, तब इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र आदि देना प्रारम्भ कर दिया, जिसके क्रम में इसके द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय सहारनपुर को टी0ए0 प्रार्थना पत्र संख्या 583/2022 के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन **परिवाद संख्या 16012/2022 प्रवीण कुमार बनाम तुषार जैन एवं 5 अन्य** को अन्तरित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आख्या अपने पत्र दिनांकित 17-09-2022 के द्वारा प्रेषित की गई। (एनेक्जर संख्या-9)

14- शिकायतकर्ता द्वारा जो परिवाद अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 28-07-2022 को संस्थित किया गया था, उक्त परिवाद में न्यायालय परिसर के अन्दर ही एम.ए.सी.टी. कोर्ट के बाहर समय 4:30 पी0एम0 बजे का घटना क्रम दर्शाते हुए सरिये व डण्डे से जान से मारने की नीयत से हमला किया जाना कथित किया गया था, जबकि न्यायालय परिसर में लगभग 60 से अधिक पुलिसकर्मी व पी0ए0सी0 कर्मी व होमगार्ड्स व अन्य अनेक पुलिसकर्मी, कोर्ट मोहररि, पैरोकार, भारी संख्या में अधिवक्तागण व वादकारीगण आदि हर समय मौजूद रहते हैं तथा सम्पूर्ण न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, साथ ही न्यायालय परिसर में एक पुलिस चौकी भी है। कथित घटना जिस प्रकार की दर्शित की गई थी, यदि वास्तविक रूप से हुई होती तो सम्पूर्ण कचहरी में सभी को उक्त घटना का पता होता। उक्त परिवाद अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्रथम दृष्ट्या ही संदिग्ध प्रतीत हुआ तथा इस तथ्य का उल्लेख करते हुए ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे दर्ज रजिस्टर करते हुए परिवादी के बयान हेतु नियत किया गया, किन्तु उक्त परिवादी/ शिकायतकर्ता अधोहस्ताक्षरी के उक्त न्यायालय में तैनात रहने तक कभी भी उक्त मामले में अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु उपस्थित

नहीं आया। (एनेक्जर संख्या-10 उक्त परिवाद के आदेश पत्र की छायाप्रति व एनेक्जर संख्या-11 उक्त परिवाद पत्र की छायाप्रति)

वास्तविक रूप से यह आपराधिक प्रवृत्ति का शिकायतकर्ता उक्त परिवाद के माध्यम से मामलों के विपक्षीगण को गम्भीर धाराओं में तलब कराना चाहता था, किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट रूप से किसी भी अवैधानिक कृत्य को किए जाने से स्पष्ट इन्कार किए जाने के बाद इसके द्वारा उक्त परिवाद पत्र को अन्तरित किए जाने हेतु शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय को अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांकित 17-09-2022 के द्वारा प्रेषित की गई थी। (एनेक्जर संख्या-09 अधोहस्ताक्षरी का पत्र दिनांकित 17-09-2022)

वास्तविक रूप से शिकायतकर्ता अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन विविध मामलों व भविष्य के मामलों में स्वयं के पक्ष में दबाव बनाने में असफल रहने की दशा में उसके द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय महामहिम महोदय, एवं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, व माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया।

15- शिकायतकर्ता प्रवीण जैन आपराधिक प्रवृत्ति का भूमाफिया मुकदमेंबाज व्यक्ति है, जिसके परिवार में न्यायिक अधिकारीगण आदि होने के कारण यह इस तथ्य को जानता है कि न्यायिक अधिकारियों पर सम्भवतः उनके विरुद्ध शिकायतें कर दबाव बनाया जा सकता है, किन्तु अधोहस्ताक्षरी ने किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य करने से इन्कार करते हुए स्पष्टतः मामलों की मेरिट के आधार पर ही कार्य किया गया। यह शिकायतकर्ता इसी जनपद का निवासी होने व न्यायिक अधिकारियों का परिजन होने व मुकदमेंबाज व्यक्ति होने के कारण इसका परिचय न्यायालय में तैनात अनेक लिपिकगण आदि से भी है तथा इसके पास सभी न्यायिक अधिकारीगण के सीयूजी नम्बर की जानकारी है, तथा यह व्यक्ति न्यायिक अधिकारियों को फोन कर व उनसे सम्पर्क करने का प्रयास कर अपने परिजन न्यायिक अधिकारियों का हवाला देते हुए उनसे परिचय बढ़ाने व उन पर दबाव बनाकर कार्य करने का प्रयास करता है। इस तथ्य की पुष्टि इसके मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल् से की जा सकती है, कि इसके द्वारा विगत दो-तीन वर्षों में किस किस न्यायिक अधिकारी को व न्यायालय के किस-किस लिपिक को कब-कब कॉल किए गए तथा यह व्यक्ति किन किन के सम्पर्क में लगातार रहा है।

16- यह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आदि है और इसके द्वारा एक ही न्यायालय, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय से लगभग समान प्रकृति के घटनाक्रम दर्शाते हुए विविध मामलों में अपने विरोधीजन को तलब कराया है। जिनमें से कुछ मामलों निम्नवत् हैं:-

ए- परिवाद संख्या 420/2022 प्रवीण कुमार जैन बनाम विनोद कुमार आदि न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय, आदेश की तिथि 29-03-2022, (एनेक्जर संख्या-12)

बी- परिवाद संख्या 1963/2022 श्रीमती मीनू जैन बनाम तुषार जैन आदि न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय, आदेश की तिथि 21-05-2022 (एनेक्जर संख्या-13)

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर अपने मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना था। शिकायकर्ता अपने विरुद्ध विचाराधीन गम्भीर

मामलों में स्वयं के हित में विविध आदेश प्राप्त करना चाहता था, तथा अपने विरोधियों को प्रथम दृष्ट्या ही असत्य प्रतीत होते तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत परिवाद के आधार पर तलब कराना चाहता था। अधोहरताक्षरी द्वारा इस मुकदमेंबाज भूमाफिया टाईप आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के किसी भी अवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति से इन्कार करने व इसके अवैधानिक हितानुरूप कार्य न करने के कारण ही इसके द्वारा दबाव बनाने की मन्शा से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आख्या माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

आदर सहित।

भवदीय,

(अनिल कुमार XI)

लघुवाद न्यायाधीश,

(तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)

सहारनपुर।

दिनांक:-23-03-2023

Babita Rani, H.J.S.

**Chamber
District Judge, Saharanpur
D. O. No- 04/2023
Date- 10 March, 2023**

Dear Anil Kumar XI,

While enclosing copy of complaint dated 03.07.2022 along with affidavit dated 19.12.2022 received from Registrar (J)(Confidential), Hon'ble High Court, Allahabad, you are hereby directed to send your comments on complaint dated 03.07.2022 made by Shri Praveen Kumar Jain S/o Late Mehar Chand Jain R/o Jain Bagh Veer Nagar Saharanpur, within seven days.


B.R.
10/03/2023
(Babita Rani)

Shri Anil Kumar XI,
JSCC,
Saharanpur.

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

'A'




Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP79678087823649U
: 15-Dec-2022 01:17 PM
: NEWIMPACC (SV)/ up14419204/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
: SUBIN-UPUP1441920452724523159133U
: PRAVEEN KUMAR JAIN SO MEHAR CHAND JAIN
: Article 4 Affidavit
: Not Applicable
: PRAVEEN KUMAR JAIN SO MEHAR CHAND JAIN
: Not App
: PRAVE
: 10
: (Ten o



MEHAR CHAND JAIN

Mob 812600151



Please write or type below this line

समक्ष- रजिस्ट्रार जूडिशियल (कांफिडेंशल) उच्च न्यायालय इलाहाबाद
विजिलेंस ब्यूरो
शपथपत्र ओर से:- प्रवीन कुमार जैन उम्र 60 वर्ष स्व0 मेहरचंद जैन
निवासी जैन बाग वीर नगर सहारनपुर।
1- यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही हैं
2- यह कि शपथकर्ता के द्वारा अनिल कुमार 11 सी.जे.एम सहारनपुर एव
क्लर्क अनुज कुमार जैन और सी.जे.एम कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी कमल के
विरुद्ध जो प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2022 को प्रेषित किया था उसमें किये
गये कथन सत्य व सही है। कोई तथ्य शपथकर्ता के द्वारा छिपाया नहीं
गया है। शपथकर्ता उक्त शपथपत्र के माध्यम से अपने द्वारा दिये गये
प्रार्थना पत्र दिनांकित 3.7.2022 में किये गये कथनों की पुष्टि करता हूँ।

Praveen Kumar Jain

उपरोक्त शपथपत्र का पैरा सं० 1 व 2 के कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे।

दिनांक:- 19.12.2022

M Jain

शपथकर्ता

M Jain

शपथकर्ता



Ravi Kanojia
RAVI KANOJIA
Advocate
Ch.No424
Civil Court, Saharanpur
Mob 8126867919

S.No. 116 C.No. 917
This affidavit is made before me today
is my office 3:30 A.M./P.M.
By Shri. जतिन अशोक प्रेमचन्द
who is identified by Shri. रवि कानोजिया
The contents of the affidavit have been
explained to the deponent who admit
to understand them. 4
Date 19/12/22 Oath Commissioner

Copy furnished to

✓ Sh Anuj Kumar Jain
CPK
CJM Court
Saharanpur

De
10/3/23

प्रति,

1. माननीय महामहिम भारत सरकार
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
भारत- 110004
2. माननीय एन.वी. रमना
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट
कृष्णा मेनोन मार्ग सुनेहरी बाग
नई दिल्ली भारत-110021
3. माननीय राजेश बिंदल
चीफ जस्टिस इलाहाबाद, प्रयागराज
धुमनगंज, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश - 211001

Receipt

File No...

...

विषय:-1. विशेष गोपनीय रिटायर्ड जस्टिस, विधि द्वारा बनायी गयी जॉच एजेंसी से निष्पक्ष जॉच कराने हेतु।

2. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ब्यान दिया था कि लोगो का न्याय पालिका पर आरोप लगाना फ़ैसन बन गया है लेकिन मुझे मजबुरी व न्यायालय सहारनपुर

के पीठासीन अधिकारी द्वारा इतना पिड़ित किया है और अपनी पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारो का दुरुपयोग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व थाना सदर

बाजार व थाना मण्डी सहारनपुर को अपने दबाव में क्योकि दोनो थाना सी.जी.एम. महोदय के अधिन आते है जबकि मेरी अंतरिम बेल जिला जज महोदय के यहां विचाराधिन थी और

अंतरिम बेल विचाराधिन होते हुए हम सब लोग न्यायालय की सुरक्षा मे थे। जबकि इन सब बातो को सी.जी.एम. महोदय जानते थे फिर भी मेरे द्वारा विविध वाद संख्या 40 सन् 2022

अनिल त्यागी बनाम् प्रवीण कुमार आदि प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) थाना सदर बाजार, थाना मण्डी दाखिल किया गया और एक प्रार्थना पत्र विविध संख्या 88/2022 किशोर

शर्मा बनाम् प्रवीण कुमार आदि थाना मण्डी सहारनपुर प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) मे दाखिल

Registrar General

G.R.A.R./S.O.. Admin.

Registrar (J.) (Confidential)

Dated 22.7.2022

Reg (J) CCF

R.G.

22/02/22

किया गया दोनो ही वाद एक ही सम्पत्ति से संबंधित थे जबकि उक्त सम्पत्ति का विचारण न्यायालय सिटी मुंशीप सहारनपुर मे वाद संख्या 143 सन् 1983 मंदिर शिवाजी महाराज बनाम् पुरन गिरी व अपील संख्या 138/1984 पुरन गिरी बनाम् शिवाजी महाराज सप्तम चतुर्थ सिविल जज द्वारा दुनीचंद के हक में उस सम्पत्ति का वाद पूर्ण विधि व कानून के अनुरूप में निर्णय कर दिया था और दुनीचंद को उसका मालिक मान लिया गया था। क्योंकि दुनीचंद मेरी गुरु महंत गोवर्धन दास के अत्यंत मित्र थे और दुनीचंद बिमारियों से ग्रस्त थे उन्होने अपने जीवन काल मे ही एक वसीयत मेरे गुरु गोवर्धन दास के हक में सन् 1986 मे की थी और उनकी मृत्यु सन् 1988 मे हो गयी और वसीयत पूर्ण रूप मे आ गयी और एक वसीयत महंत गोवर्धनदास से अपने चले व शिष्य प्रवीण कुमार के नाम दिनांक 11/08/1999 मे की थी और महंत गोवर्धन दास की मृत्यु दिनांक 29/11/2000 को हो गयी जिनकी समाधी गबीर ज्ञान मंदिर पंत बिहार मे बनी हुई है और मै कबीर पंत सभा का करीबन 20 साल से अध्यक्ष हूँ। जैसा कि मैने वसीयत के आधार पर 26/10/2021 को उपरोक्त मंदिर के संबंध में प्रबंधन हेतु एक ट्रस्टडी बनायी और विपक्षीगण जो कि राजनीतिक व गुंडे तत्वो से मिले हुए है जब उन्होने मुझे मंदिर के निर्माण आदि में बाधा उत्पन्न करनी चाही तो मैने एक वाद माननीय न्यायालय सिविल जज नगर सहारनपुर वाद संख्या 687 सन् 2021 मंदिर शिवाजी महाराज बनाम् अमित शर्मा आदि दाखिल किया जिसमे न्यायालय ने मेरे समस्त कागजातो का सही मानते हुए और कानून की प्रक्रिया का निभाते हुए न्यायालय सिविल जज नगर द्वारा 01/12/2021 को निशेष/स्टे यह कहते हुए दिया कि मेरे कार्य मे किसी भी तरह से विपक्षीगण कोई हस्तक्षेप न करें। जब विपक्षीगण को इस स्टे की जानकारी प्राप्त हुई और मेरे द्वारा जिला प्रशासन को व पुलिस प्रशासन को माननीय न्यायालय के आदेशो की छायाप्रति दाखिल करते हुए न्यायालय के आदेश का पालन कराने हेतु करीबन संबंधित थाना, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने न्यायालय का कोई सम्मान न करते हुए आदेशो का पालन नही किया गया। जैसा कि विपक्षीगण ने दो वाद न्यायालय सी.जी.एम. महोदय के यहां धारा 156 (3) मे विविध वाद दाखिल किये कि किसी भी तरह मेरे उपर पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से दबाव बनवाकर व झुठे मुकदमे करके सिविल वाद को वापस कराने हेतु दबाव बनाया गया। क्योंकि विपक्षीगण ने झुठी रसीदे काटकर करीबन

50 लाख रुपये इक्कठा किया हुआ था। कही मैं उसका हिसाब न मांग लूँ जैसा कि मेरे पास श्री अनुज कुमार जैन मुख्य लिपिक जो कि रिश्ते में मेरा रिश्तेदार है व सी.जी.एम. महोदय मे कारित कमल मेरे पास आये और आपके विरुद्ध किशोर शर्मा द्वारा 156 (3) मे मुकदमा दायर करने हेतु दिनांक 12/02/2022 को प्रार्थना पत्र विविध संख्या 88/2022 दाखिल किया हुआ है जिसमे बहस हेतु दिनांक 17/02/2022 निश्चित हुई है यदि उसमें करीबन 10-11 अभियुक्त बनाये गये है यदि सी.जी.एम. महोदय द्वारा आपके विरुद्ध 156 (3) प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तो आपको कोई घचाने वाला नहीं है। क्योंकि जब हमारे साहब 156 (3) मे आदेश लिखवाते है उसकी काट कोई नहीं कर सकता और ना ही उसे जिला जज द्वारा भी जमानत प्राप्त नहीं होती है। यदि आप हमे 1 लाख रुपया दो तो हम इस 156 (3) को साहब से कहकर खारिज करा देंगे तभी मैंने विचार किया कही मेरी वजह से मेरे ट्रस्ट मे ट्रस्टी बने लोग जो कि सीधे-साधे व धर्म अनुयायी है कही वे लोग फस न जाये और किसी कठिनाइयों का सामना करना न पड़ जाये तभी मैं अपनी पत्नि का जेवल गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लिये और मुख्य लिपिक अनुज कुमार जैन सी.जी.एम. व बाबु कमल को 17/02/2022 को 01 लाख रुपये सी.जी.एम. महोदय के चैम्बर मे जाकर दोनो बाबुओं को दिये और 17/02/2022 को 156 (3) प्रार्थना पत्र निरस्त कराया गया। तभी पुनः दिनांक 20/03/2022 को मुख्य लिपिक अनुज कुमार जैन व बाबु कमल पुनः मेरे पास आये कि आपके विरुद्ध एक और प्रार्थना पत्र अनिल त्यागी बनाम् प्रवीण कुमार आदि 156 (3) मे थाना सदर बाजार दाखिल हुआ है जिसमे भी 10-11 अभियुक्त है जिसमें 30/03/2022 सुनवायी हेतु निश्चित है। यदि आप कहो तो इस प्रार्थना पत्र को भी हम खारिज करा देंगे यदि आप हमे 1 लाख रुपये और दो मैंने कहा कि जिस सम्पत्ति के संबंध मे सी.जी.एम. महोदय द्वारा 17/02/2022 को 156 (3) प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था क्या उसी तरह के वाद में मेरे विरुद्ध 156 (3) कैसे दर्ज हो सकती है और मैंने पैसा देने से मना कर दिया मैंने विविध वाद संख्या 88/2022 किशोर शर्मा बनाम् प्रवीण कुमार आदि की नकल प्राप्त कर अपनी समस्त आपत्तियां बनवाकर अपने अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता सिनियर के द्वारा आपत्तियां दाखिल की गईं विविध वाद संख्या 40/2022 में अनिल त्यागी बनाम् प्रवीण आदि मे दाखिल की गईं

लेकिन मुख्य लिपिक अनुज कुमार जैन द्वारा व बाबु कमल द्वारा कहा गया है 156 (3) में ये प्राविधान है यदि विपक्षीगण द्वारा आपत्तियां दाखिल की भी जाती है उस पर न्यायालय या पीठासीन अधिकारी को को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उन आपत्तियों पर विचार करे या न करें। अब भी समय है कि आप हमें 1 लाख रुपये दे दो हम साहब से कहकर विविध वाद संख्या 40/2022 अनिल त्यागी बनाम प्रवीण कुमार आदि खारिज करा देंगे लेकिन 30/03/2022 को जब अनिल त्यागी के 156 (3) में सुनवाई होनी थी और मेरे अधिवक्ता शहर से बाहर गये हुए थे मैं वहां पर मौजूद था और अनिल त्यागी के वकिल ने कुछ कागजात दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा तो न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु मौखिक रूप से 26/04/2022 सुनवाई हेतु नियुक्त होना कहा गया जो मैंने आकर अपने अधिवक्ता के ज्युनियर को तारिख नोट करायी गयी लेकिन पैसा न देने के कारण अनिल त्यागी का प्रार्थना पत्र 156 (3) दिनांक 02/04/2022 को स्वीकार कर लिया गया और हमारे विरुद्ध थाना सदर बाजार में मुकदमा कायम कर दिया गया और पीठासीन अधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और गुस्से में आकर पैसा न देने के कारण मेरे पुत्र हर्षित जैन को 02/05/2022 को उपनिरीक्षक संदीप कुमार द्वारा नजायज रूप से शाम को मण्डी समिति रोड से पकड़कर थाने में बैठा लिया। जबकि इसकी विवेचना सदर बाजार द्वारा की जा रही थी। और हमारे द्वारा जिला जज महोदय के यहां अंतरिम बेल भी दाखिल की गई थी और अभियुक्त हर्षित कुमार सुप्रीम कोर्ट की विधि के अनुसार न्यायालय के संरक्षण में था पुलिस को कोई अधिकार अंतरिम बेल के निस्तारण तक अभियुक्त को पकड़ने का नहीं था लेकिन सी.जी.एम. महोदय के दबाव में आकर विवेचना भी रात्री 12 बजे ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सदर बाजार से थाना मण्डी को ट्रान्सफर कर दी गई आज मेरा पुत्र जो कि गंभीर बिमारियों से ग्रस्त है और एलर्जी रोग से पिड़ित है करीबन 2 माह से जिला कारागार में बंद है। जबकि मेरा समस्त परिवार ज्युडिसियल से जुड़ा हुआ है मेरे जीजा श्री व्ही.के. जैन न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस रहे और वही से निष्पक्षता से कार्य करते हुए रिटायर हुये आज वे दुनिया में नहीं हैं और आज भी मेरा परिवार ज्युडिसियल में सेवा दे रहा है। मैंने जब इस संबंध में माननीय सी.जी.एम. महोदय को कहा कि आपने हम गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है जबकि मेरा सम्पूर्ण परिवार ज्युडिसियल से जुड़ा हुआ है और अपना कार्य निष्पक्षता से

करता आ रहा है लेकिन उन्होंने मेरा परिवार भी ज्युडिसियल से जुड़ा हुआ है और मेरा भाई भी तो जिला जज है और जो तुम्हारे विरुद्ध 02/04/2022 में थाना सदर बाजार में एफ.आई.आर. नोट करायी है उसमे तो मुझे बहुत कुछ लिखना था जो लिखना रह गया जिस एफ.आई.आर. को मैं दर्ज कराता हु उसमे तो बेल भी प्राप्त नहीं होती।

अतः मैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय संविधान रक्षक से प्रार्थना करता हूँ पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार सी.जी.एम. महोदय के विरुद्ध एक निष्पक्ष गोपनीय जाँच करायी जाये जिससे जिस तरह का अन्याय हमारे साथ हुआ है क्या इनके कार्यकाल में अन्य लोगो के साथ भी ऐसा अन्याय तो नहीं हुआ इसकी जाँच विधि अनुसार गठित निष्पक्ष जाँच एजेंसी से करायी जाये जिससे इसकी सत्यता सामने आ सकें।

अतः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय रक्षक से प्रार्थना करता हूँ इसकी जाँच अतिशीघ्र कराने की कृपा करें।

संलग्न:-

1. प्रार्थना पत्र दिनांक 01/07/2022 जो कि मैं पुलिस महानिर्देशक उत्तर प्रदेश सरकार सहारनपुर को अपने परिवार की सुरक्षा हेतु व विवेचना निष्पक्ष होने हेतु

दे रहा हूँ उसकी एक कापी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

② के अलावा 03/04, कलकत्ता टावर, जालीरपुरा रोड संजय चैर सिविल अर्डिन आदर उत्तर प्रदेश - 202002

भवदीय

प्रवीण कुमार जैन

सपुत्र स्व. मेहरचंद जैन

चेला महंत गोवर्धनदास

दिनांक:- 03/07/2022

हा.नि.- जिला जज परिसर/जिला

प्रशासन परिसर (छ.ग.)

निवासी जैन बागवीर नगर सहारनपुर

मकान. 8/1117 थाना मण्डी सहारनपुर

F12-202-22 अनिल कुमार

आदर बेल - 8-6-22

संलग्न 156/3 प्रार्थना अनिल कुमार व प्रवीण कुमार

12222 56/3 किशोर शर्मा व प्रवीण कुमार

किशोर आदर - 17-2-22

F12-202-22 अनिल कुमार

आदर बेल - 8-6-22

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या- 40/2022

CNR-UPSP040011152022

अनिल कुमार त्यागी

बनाम

प्रवीण कुमार जैन आदि।

02-04-2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सनातनी हिन्दू है और शिवजी व अन्य देवी देवताओं में बहुत आस्था रखता है। बाग शिवाला स्थित गोटेशाह की चुंगी सहारनपुर बहुत प्राचीन मन्दिर है, जो कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा वर्ष 2020 में श्रद्धालुओं हेतु खोल दिया गया था, तभी से प्रार्थी लगातार उक्त बाग शिवाला में पूजा अर्चना करता आ रहा है। विपक्षीगण उपरोक्त भूमाफिया किस्म के अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, विपक्षीगण अन्य भूमाफियाओं से साज करके उक्त मन्दिर की काफी जमीन पर अवैध कब्जा कर व करवा चुके हैं। यह कि बाग शिवाला बाके गोटेशाह की चुंगी सहारनपुर राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा संख्या 792/2 में स्थित है, जिसका रकबा 0.0820 है 0 है, जो कि श्रेणी 6(2) में है तथा पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार फसली 1325 यानि की सन 1918 में उक्त मन्दिर दर्ज बला आता है, उक्त भूमि श्रेणी 6(2) जैड.ए. एक्ट के अनुसार सार्वजनिक धार्मिक सम्पत्ति है, जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर सरकार में निहित है तथा सार्वजनिक धार्मिक मन्दिर होने के नाते आम जनता की इसमें आने जाने व पूजा का अधिकार प्राप्त है। यह कि विपक्षीगण उपरोक्त ने बदनियती व धोखे की नीयत से उक्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 792/2 बाग शिवाला को नाजायज रूप से हथियाने की नीयत से एक कूट रचना करते हुए दिनांक 26.10.2021 में ट्रस्ट बिना सरकार की पूर्व अनुमति से पंजीकृत करा ली है जबकि सरकारी सम्पत्ति पर कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसी ट्रस्ट नहीं बना सकता है।

जानकारी में आया है कि विपक्षीगण ने उक्त ट्रस्ट कार्यालय उप निबन्धक सदर प्रथम कार्यालय पैरामाउण्ट सम्बंधित थाना क्षेत्र सदर बाजार सहारनपुर में पंजीकृत कराई है और उक्त कूट रचित ट्रस्ट व अन्य बनाई गई वसीयतों के आधार विपक्षीगण उक्त मन्दिर की शेष भूमि पर अवैध कब्जा करके उन्हें शीघ्र ही बेचने की फिराक में है। विपक्षी नं. 1 प्रवीण कुमार जैन, जो कि इस फर्जी ट्रस्ट में अपने आपको संस्थापक कहता है तथा प्रवीण कुमार जैन कबीरपंथी है तथा जन्म से जैन धर्म का है, जो कि मन्दिर या देवालय में आस्था ना रखकर केवल उनकी भूमि हथियाता है, इस पर पहले से भी कई मुकदमें चल रहे हैं। उक्त बाग शिवाला पर कभी भी मुकन्दगणी की गददी नहीं थी और ना ही उक्त जमीन का कभी मालिक दुलीचन्द नामक व्यक्ति रहा। दिनांक 31.12.2021 की प्रातः 7 बजे प्रार्थी उक्त बाग शिवाला में पूजा कर रहा था तथा काफी श्रद्धालू भक्त मन्दिर में जल चढाने आ रहे थे कि तभी उपरोक्त विपक्षीगण हाथों में डण्डे, सरिये व असलाह लेकर आये तथा हमें पूजा अर्चना करने वालों को गंदी गंदी गालियां देकर जान से मारने का डर दिखलाकर मन्दिर से भाग जाने को कहने लगे, हालांकि प्रार्थी बिना पूजा पुरी करे, वहां से नहीं जाना चाहता था, इस पर विपक्षीगण ने प्रार्थी को लात, घुस्सों से मारपीट करके प्रार्थी के कपड़ों को फाड़ डाला और प्रार्थी की पूजा की थाली उठाकर ले गये, जाते हुए धमकी देकर गये कि आईन्दा इस मन्दिर में आया तो तुझे जान से मार डालेंगे, तुझे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। इस घटना को मौके पर किशोर शर्मा, अशोक सिंघल, संजीव जैन, राहुल गोयल, विरेन्द्र शर्मा, अमित धींगड़ा, अमित शर्मा ने देखा था तथा विपक्षीगण को वारदात करने से रोका था।

प्रार्थी ने इस बाबत दिनांक 31.12.2021 में थाना मण्डी व सदर बाजार में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई ना होने पर एस.एस.पी. महोदय सहारनपुर को पंजीकृत डाक से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। विपक्षीगण ने कूटरचित ट्रस्ट व फर्जी वसीयतें बाजार के व्यक्तियों को दिखलाई, ताकि उक्त जमीन का वे लोग सौदा कर सकें। इन्ही व्यक्तियों में से एक शख्स अरशद पुत्र जिन्दा हसन ने प्रार्थी को ट्रस्ट व फर्जी वसीयत की फोटोस्टेट दिखलाई थी तथा बताया था कि उसे विपक्षी गण ने जमीन बिकवाने को कह रखा है, प्रार्थी ने अरशद से उन फर्जी कागजों की फोटो स्टेट ले ली थी। विपक्षीगण ने उक्त ट्रस्ट की कूटरचना कार्यालय उप निबन्धक सदर सम्बंधित थाना क्षेत्र सदर बाजार सहारनपुर में की है, इसीलिये थाना सदर बाजार में विपक्षीगण का अपराध बनता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 के तहत उचित धाराओं में मुलाजिमान के खिलाफ थाना सदर बाजार पर दर्ज कराये जाकर विवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा0पत्र के समर्थन में श्रीमान एस0एस0पी0 सहारनपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र, डाक रसीद, आधार कार्ड व अन्य प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।

सुना एवं प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना हाजा की आख्या दिनांकित 16.01.2022 के अनुसार प्रार्थी के प्रा0पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रश्नगत मामले में ही विपक्षी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए आपत्ति में वर्णित तथ्यों एवं कारणों के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्कों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द0प्र0सं0 के मामलों में विपक्षी को सुने जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फ़ादर थोमस बनाम स्टेट ऑफ यूपी0 2002(1) यूपी0सी0आर0आर0

02/04/2022

51=2002(1)जे0आई0सी0 415(इलाहाबाद) व ब्रिजेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 1997(34) ए0सी0सी0 687 के गत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के मामलों में आरोपित को सुना जा सकता है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित, घटनाक्रम के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का घटित होना प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र में जिस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया गया है उस प्रकार के तथ्यों के संबंध में मामले को परिवाद के रूप में संचालित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19-03-2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए0सी0सी0 50 पूर्ण पीठ व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50 एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 किमिनल लॉ जरनल पेज 472 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामलों के सत्य व अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी अनिल कुमार त्यागी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, नियमानुसार विवेचना करें अथवा कराये, तथा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति अन्दर 24 घण्टे न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति पैरोकार के माध्यम से अनुपालनार्थ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

M. S. Kumar

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या- 88/2022

CNR-UPSP040026532022

किशोर शर्मा

बनाम

शंकी काम्बोज उर्फ विश आदि।

17-02-2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व में सुना जा चुका है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि गोटेशाह की चुंगी दरा आली स्वाद पर सरकारी भूमि खरारा नम्बर 792/2 पर बहुत प्राचीन शिव मन्दिर बना है जिसका रकबा 820 मीटर है, इस मन्दिर में आम सनातनी हिन्दू धर्म के लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उक्त मन्दिर सार्वजनिक धार्मिक सम्पत्ति है, जिसका मालकाना हक अंतर्गत धारा 6(2) जेडएएक्ट के अनुसार सरकार में निहित है। कुल विपक्षीयण उपरोक्त गिरोहबंद भूमिफिया लोग हैं तथा फर्जी कागजात के आधार पर जमीन हड़पते हैं तथा नाजायज कब्जा करते हैं। विपक्षीयण ने श्री शिवजी महाराज शिवाला मारुफ महानन्दी शिवाला महादेव ट्रस्ट के नाम से कार्यालय उप निबन्धक सहारनपुर सदर (प्रथम) जनपद सहारनपुर में दिनांक 26.10.2021 में पंजीकृत कराई, जो कि उप निबन्धक कार्यालय में बही नं 4 जिल्द सं. 659 के पृष्ठ संख्या 183 से 218 तक क्रमांक 280 पर दिनांक 26.10.2021 दर्ज हुई, जिसमें प्रश्नगत भूमि खरारा नम्बर 792/2 दरा आली स्वाद अन्दरून जैए परगना व तहसील व जिला सहारनपुर का विवरण नहीं है लेकिन विपक्षीयण ने उक्त दस्तावेज के आधार पर उक्त सरकारी सम्पत्ति श्रेणी 6(2) मन्दिर पर गैर कानूनी ढंग से अपना अधिकार दिखलाना शुरू कर दिया और उक्त ट्रस्ट के आधार पर मन्दिर की सम्पत्ति हड़पने लगे हैं तथा अपने आपको विपक्षीयण उक्त बाग शिवाला का मालिक बता रहे हैं तथा विपक्षीयण ने पिछली तारीखों में कुछ फर्जी बिना रजिस्टर्ड वसीयतें भी बना ली हैं।

इन कागजात के आधार पर शहर के दलालों से उक्त जमीन का सौदा कर रहे हैं तथा आम लोगों से जमीन का ब्याना मी ले चुके हैं जबकि मन्दिर की जमीन बेचने का कोई हक विपक्षीयण के पास नहीं है। प्रार्थी ने विपक्षीयण के गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने के प्रयास को देखते हुए पिछले सैंकड़ों वर्षों का राजस्व रिकार्ड का मायना कराया, जो कि सैंकड़ों वर्षों से श्रेणी 6(2) में बाग शिवाला है, प्रार्थी ने एक दलाल से विपक्षीयण के कागजात की छाया प्रति भी प्राप्त की, इस बात से नाराज होकर विपक्षीयण, प्रार्थी से रजिश्न रखने लगे हैं। दिनांक 06.01.2022 की सुबह प्रार्थी मन्दिर में पूजा कर रहा था कि समय 8 बजे विपक्षीयण एकराय होकर लाठी डण्डे लेकर गंदी गंदी गालियां देते हुए मन्दिर में घुस आये तथा प्रार्थी की आस्था के खिलाफ भगवान शिव को गालियां देते हुए कहने लगे कि देखते हैं कि यहां तुझे कौन सा भगवान बचाता है तथा प्रार्थी को बेइज्जत करके थप्पड़, मुक्कों से मारते पीटते मन्दिर से बाहर खींच ले गये, मौके पर अन्य श्रद्धालू प्रवीण कुमार पुत्र नन्दे कुमार वर्मा व आशु शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा आदि लोगों ने प्रार्थी को बचाया छुट छुटाव के बाद विपक्षीयण ने आईन्दा मन्दिर में आने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार विपक्षीयण मन्दिर की सम्पत्ति को हथियाने हेतु हम श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का मुकदमा थाना हाजा पर पंजीकृत कर दिवेचना करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रा0पत्र के समर्थन में श्रीमान एस0एस0पी0 सहारनपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र, डाक रसीद, आधार कार्ड, कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर से संबंधित प्रपत्र, नकल खतौनी, प्राचीन रेवेन्यू रिकार्ड, कार्यालय जन् सूचना अधिकारी तहसील सहारनपुर से संबंधित प्रपत्र व अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति अखिल की गयी है।

सुना एवं प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19-03-15 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए0सी0सी0 50 पूर्ण पीठ में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश में आहूत थाना हाजा की आख्या दिनांकित 24.01.2022 के अनुसार दिनांक 30.12.2021 को उपजिलाधिकारी सदर सहारनपुर ने अपने पत्रांक 2359/पी0ए0 एवं नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर ने अपने आदेश संख्या 539/एस0टी0-2021 दिनांक 27.12.2021 में मौ0 गोटेशाह की चुंगी नियत मन्दिर की जांच कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त स्थित मन्दिर की जांच कराने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त सन्दर्भ में तहसीलदार सदर सहारनपुर द्वारा जांच की गयी। तहसीलदार सदर सहारनपुर द्वारा 30.12.2021 में अवगत कराया है कि वर्तमान भू-अभिलेखों में खरारा संख्या 792/2 क्षेत्रफल 0.082 हे0 स्थित ग्राम दराआली स्वाद अन्दरून जेड0ए0 परगना तहसील व जिला सहारनपुर क्षेत्री 6(2) में अंकित है तथा स्थल पर शिव मन्दिर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश जिला सहारनपुर क्षेत्री 6(2) में अंकित है तथा स्थल पर शिव मन्दिर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 11.12.2020 को तत्कालीन एस0डी0एम0 सदर द्वारा मन्दिर का ताला खुलवाया गया था जिसमें एक चाबी सामाजिक व्यक्तियों के समक्ष 40 शिव कुमार गोंड को सौंपी गयी थी। स्थल पर उक्त मन्दिर में उन्हीं के द्वारा पूजापाठ कराया जाना अंकित है तथा यह कि प्रवीण कुमार जैन उपरोक्त द्वारा सब रजिस्ट्रर प्रथम में एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट उक्त मन्दिर के संबंध में शिवजी महाराज शिवाला मारुफ महानन्दी शिवाला महादेव ट्रस्ट के नाम से दिनांक 26.10.2021 को पंजीकृत कराया जाना अंकित है और जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि उक्त प्रश्नगत भूमि श्रेणी 6(2) भी है, जिसका प्रबन्धन नगर निगम सहारनपुर के क्षेत्राधिकार में है और प्रवीण कुमार जैन पुत्र स्व0 मेहरचन्द जैन आदि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त सम्पत्ति को लेकर आवेदक किशोर शर्मा आदि तथा विपक्षी प्रवीण कुमार जैन आदि अपने कब्जे व मालिकाना हक को लेकर शिकायती प्रा0पत्र आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे के विरुद्ध प्रेषित करते रहते हैं। आवेदक किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 06.01.2022 की सुबह 8 बजे की जो घटना दर्शायी गयी है उसके संबंध में मन्दिर परिसर में पुलिस थाना की ओर से 2 हफ्ते पुलिस बल मौजूद रहता है जिन्होंने पूछने पर मन्दिर में दिनांक 06.01.2022 की घटना का न होना बताया है। यदि मन्दिर परिसर में कोई घटना होती तो मन्दिर के आसपास के लोगों को भी जानकारी होती, परन्तु ऐसा नहीं है। अतः उक्त घटना का सहारा लेकर आवेदक पक्ष अभियोग पंजीकृत कराना चाहता है जबकि ऐसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हो पायी है। प्रा0पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में थाने पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0स0 व थाना हाजा की उक्त आख्या के सम्यक परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किये जाने का पत्थन किण्व जाना प्रतीत होता है।

थाना हाजा की उक्त आख्या से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में तत्कालीन एस0डी0एम0 सदर सहारनपुर द्वारा मन्दिर का ताला खुलवाया गया था जिसमें एक चाबी सामाजिक व्यक्तियों के समक्ष अंकित शिव-कुमार-गोंड को सौंपी गयी थी। प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में स्वामित्व का विवाद विद्वान है तथा उभयपक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाकर प्रा0पत्र प्रेषित करते रहते हैं। कथित घटना की तिथि एवं समय पर मन्दिर परिसर में पुलिस बल तैनात था तथा वहां तैनात पुलिस बल

17/02/2022

क संज्ञान में किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं आयी है। यदि वास्तविक रूप से ऐसी कोई घटना हुई होती तो मंदिर पुलिस बल एवं अन्य लोगो को उसकी जानकारी अवश्य हुई होती। वस्तुतः कथित घटना विपक्षीगण को फौजदारी मामले में अभियोजित करने की मंशा से बनायी गयी प्रतीत होती है जबकि वास्तविक विवाद मंदिर के स्वामित्व आदि का है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता व थाना हाजा की उक्त आख्या के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रथमदृष्टया प्रश्नगत मंदिर के संबंध में स्वामित्व/टाइटल/ट्रस्ट आदि का प्रश्न वास्तविक रूप से विद्यमान प्रतीत होता है जो कि मूलतः सिविल/राजस्व प्रकृति का मामला है और प्रश्नगत मामला वास्तविक रूप से किसी भी प्रकार का कोई फौजदारी प्रकृति का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है। आवेदक की मंशा सिविल/राजस्व प्रकृति के मामले को फौजदारी प्रकृति का मामला बनाकर विपक्षीगण पर अद्वैधानिक रूप से दबाव बनाने व विधि विरुद्ध तरीके से स्वयं के हितों को पूर्ण करने के उद्देश्य से विधिक परामर्श प्राप्त कर प्रथम दृष्टया ही असत्य एवं कल्पित प्रतीत होते तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाना हाजा की आख्या से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 06.01.2022 की सुबह 8 बजे की जो घटना दर्शायी गयी है उसके संबंध में मन्दिर परिसर में पुलिस थाना की ओर से 2 हफ्ते पुलिस बल मौजूद रहता है जिन्होंने पूछने पर मन्दिर में दिनांक 06.01.2022 की घटना का न होना बताया है। प्रार्थी के प्रा0पत्र में वर्णित कथित घटना 06.01.2022 के संबंध में सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति विचार किये जाने पर यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि यदि ग्यारह व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर हमलावर होंगे तो निश्चित रूप से आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर आवेदक का बचना सम्भव नहीं होता और यदि बच भी जाता तो इस प्रकार की उपहति अवश्य कारित होती कि उसे लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता, किन्तु प्रश्नगत मामले में वास्तविक रूप से आवेदक को किसी प्रकार की खरोंचे तक भी नहीं आयी है और ना ही इसका कोई उल्लेख किया गया है और ना ही किसी भी चिकित्सक को दिखाये जाने संबंधी कोई पर्चा आदि दाखिल किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की दो न्यायमूर्तिगण की नवीनतम विधि व्यवस्था फौजदारी अपील संख्या- 52 वर्ष 2022 [एसएलपी(कि0) संख्या 852/2020] सुरेश काकरा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं एक अन्य के बाद में पारित निर्णय दिनांकित 7 जनवरी 2022 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 156(3) द0प्र0सं0 के प्रा0पत्रों पर आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को पत्रावली पर मौजूद समस्त सामग्री पर विचार करने के साथ-साथ परिणामों पर भी विचार करते हुए आदेश पारित करना चाहिए।

वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की भूमि एवं ट्रस्ट के विवाद में जो कि पूर्णतः सिविल/राजस्व प्रकृति का मामला है जिसमें क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय व ट्रस्ट के प्रबंधन के संबंध में क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायधीश को प्राप्त है, में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही से बचते हुए अथवा संबंधित सिविल न्यायालयों में संभावित विचाराधीन मामलों में विपक्षीगण पर दबाव बनाने की मंशा से उन्हें समझौते हेतु बाध्य करने की मंशा से पूर्ण सौच विचार कर व विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का भरपूर दुरुपयोग करते हुए अनावश्यक रूप से मुकदमे संस्थित कराकर उन्हें गम्भीर धाराओं में अभियोजित कराना चाहता है।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त होना न प्रतीत होते हुए आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का भरपूर दुरुपयोग करते हुए बेईमानी की मंशा से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस से विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर अपने स्वार्थपूर्ण हितों की प्रतिपूर्ति की जा सके। मामला वस्तुतः पूर्णतः सिविल/राजस्व प्रकृति का है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था 2012 प्रयाग निर्णय पत्रिका 776 (किमिनल) रमेश चन्द भाटिया एवं एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं एक अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिविल/राजस्व प्रकृति के मामलों को अनावश्यक रूप से फौजदारी प्रकृति का नहीं बनाया जाना चाहिए। मामला मूलतः सिविल/राजस्व प्रकृति का है, जिसमें विपक्षीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का मामला बनता प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के निष्कर्ष से यह पुष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेदक वास्तविक रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए विपक्षीगण पर दबाव बनाने की मंशा से उक्त पर अभियोग पंजीकृत कराकर बेईमानी की नीयत से अपने हितों की प्रतिपूर्ति करना चाहता है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19-03-15 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य 2001 (45) ए0सी0सी0 50 पूर्ण पीठ व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा पारित विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50 एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित विनिर्णय सखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 किमिनल लॉ जरनल पेज 472 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी किशोर शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सहारनपुर।

प्रेषक,

अनिल कुमार XI
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
सहारनपुर।

**विषय— प्रार्थी अमित कुमार शर्मा के शिकायती प्रार्थनापत्र पर वांछित
आख्या/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।**


आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी अमित कुमार शर्मा के प्रार्थनापत्र पर पारित मा० महोदय के आदेश दिनांकित 25.01.2022 के क्रम में ससम्मान विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि इस न्यायालय में प्रकीर्ण वाद संख्या 40/2022 अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० अनिल कुमार त्यागी बनाम प्रवीन कुमार जैन व दस अन्य नामित व अन्य अज्ञात विचाराधीन है।

उक्त प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० दिनांक 06.01.2022 को न्यायालय में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया, जिसमें थाना हाजा से आख्या मंगाने जाने हेतु तिथि 21.01.2022 नियत की गयी। दिनांक 21.01.2022 को थाना हाजा से आख्या प्राप्त हुई, किन्तु प्रार्थी अथवा उसकी ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। बहस हेतु अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 25.01.2022 नियत की गयी। दिनांक 25.01.2022 को अधोहस्ताक्षरी का रोटेशन ऑफ होने की स्थिति में कार्यालय से तिथि 07.02.2022 नियत की गयी है। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी की ओर से आज की तिथि तक कोई बहस आदि नहीं की गयी है और ना ही प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई है।

प्रश्नगत प्रकीर्णवाद में शिकायतकर्ता कथित अमित कुमार शर्मा न तो मामले का प्रार्थी है और ना ही मामले के प्रार्थी अनिल कुमार त्यागी का अधिवक्ता है। उक्त व्यक्ति द्वारा किस प्राधिकार से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है यह तथ्य भी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा अपने शिकायती प्रार्थनापत्र में न्यायालय के साथ-साथ कार्यालय के बाबू को भी आरोपित किया गया है, किन्तु इस तथ्य का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र में कार्यालय के किस बाबू को आरोपित करना चाहता है, क्योंकि वास्तविक रूप से यदि ऐसा होता तो प्रार्थी द्वारा उक्त बाबू के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया होता जोकि उसके द्वारा नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा किसी भी कार्यालय लेपिक/बाबू व अधोहस्ताक्षरी पर आरोपित तथ्य पूर्णतः असत्य, काल्पनिक एवं निराधार हैं।


28/01/2022

न्यायालय का प्रयास यथाशीघ्रता से वाद का गुण-दोष पर निस्तारण किये जाने का होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी व अज्ञात कार्यालय लिपिक के विरुद्ध आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिसका एक मात्र उद्देश्य न्यायालय पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की मंशा से अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर आदेश पारित कराकर विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर अपने मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना प्रतीत होता है। न्यायालय को आरोपित करते हुए न्यायालय पर दबाव कारित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना न्याय की मंशा के सर्वथा विरुद्ध है। आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

आदर सहित।

दिनांक-28-01-2022

भवदीय,

(अनिल कुमार XI)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

Received
Hasim
28/01/22

25/01-22

रपीड डाक द्वारा प्रेषित

मा० ए.के. त्रिपाठी महोदय
जिला जज सहा०

प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थना पत्र 156 (3) प्रकीर्ण वाद सं० 40
सन 2022 अनिल त्यागी बनाम प्रवीन कुमार आदि को
नियुक्त तिथि- 21.1.2022 को किसी अन्य न्यायालय में
ट्रांसफर करने के संबंध में-

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्राचीन सिद्धपीठ बाबा गोटेश्वर महादेव
मंदिर गोटेशाह की चुंगी की समिति का महामंत्री हूँ मेरे समिति के
सदस्य अनिल कुमार त्यागी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सी.जे.
एम महोदय सहारनपुर में 6.1.2022 को 156 (3) में मुकदमा दर्ज
करने हेतू थाना सदर बाजार में दिया गया है लेकिन सी.जे.एम
कार्यालय के बाबू मेरे से 60,000 रु० 156(3) में थाना सदर
बाजार में मुकदमा कायम कराने हेतू मांग रहे हैं और कह रहे हैं
कि सी.जे.एम साहब 156(3) का मुकदमा बगैर हमारे कहने पर व
पैसे देने पर ही तुम्हारा मुकदमा कायम किया जायेगा क्योंकि
तुम्हारे मुकदमें में कोई स्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया गया हम
लोग एक धर्म अनुयायी हैं और हमें न्यायालय सी.जे.एम महोदय
के यहां से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे
पास इतनी धनराशि रिश्त के रूप में देने के लिये नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त वाद को न्याय हेतू किसी
अन्य न्यायालय में भेजने की कृपा करें।

दिनांक:- 14.1.2022

अमित शर्मा प्रार्थी

अमित कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा
ईमलीतला थाना गण्डी सहारनपुर। महामंत्री
प्राचीन सिद्धपीठ गोटेश्वर महोदय मंदिर
गोटेशाह की चुंगी सहारनपुर।

प्रतिलिपि:- प्रशासनिक न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद
(प्रयागराज) को उपरोक्त संबंध में कार्यवाही करने हेतू सूचनार्थ
प्रेषित

For Deposition / Comments
for 7 days

DISTRICT JUDGE

प्रतिलिपि/सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू
District Medical Magistrate

आज्ञा है
प्रशासनिक न्यायाधीश
जिला जज

28/04/22
28/22 Dt 26/6/22
N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत फॉर्म -V)
FS 441 9/2/22

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फॉर्म/रिपोर्ट
(Under Section 173 Cr.P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 173 के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : मोहम्मद महम्मदपुर (के न्यायालय में)

Case No. 3531/2022
Year (वर्ष): 2022
com

1. District (जिला): सहारनपुर

P.S. (थाना): सदर बाजार

FIR No. (प्र.सू.रि.स.): 0202

Date (दिनांक): 09/04/2022

2. Final Report / Charge Sheet No. (अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.): 01

3. Date (दिनांक): 26/06/2022

4. S.No. (क्र.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा ट स 1860	420
2	भा ट स 1860	467
3	भा ट स 1860	468
4	भा ट स 1860	471
5	भा ट स 1860	504
6	भा ट स 1860	506
7	भा ट स 1860	147
8	भा ट स 1860	148
9	भा ट स 1860	149
10	भा ट स 1860	323

5. Type of Final Form/Report (अंतिम फॉर्म/रिपोर्ट का प्रकार): आरोप पत्र

6. If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया): मूल

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): PS SADAR

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454404194

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):

श्री अनिल कुमार त्वार्गी

(b) (ख) Father's Name (पिता का नाम): महेंद्र कुमार त्वार्गी

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Register No.	Property	From whom/ where revered or seized	Disposal
------	----------------------	--------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------	----------

11. Particulars of accused persons charge-sheet (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

अज्ञात
आकाश कुमार
पति राजेश कुमार

1

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name(नाम): शंकी कामचोज उर्फ विश

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1987

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार)

Address(पता)

1 वर्तमान पता

राधा विहार , गोपाल नगर , कोतवाली नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

राधा विहार , गोपाल नगर , कोतवाली नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.) Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 भा ट स 1860

420

2 भा ट स 1860

467

3 भा ट स 1860

468

4 भा ट स 1860

471

5 भा ट स 1860

504

6 भा ट स 1860

506

7 भा ट स 1860

147

8 भा ट स 1860

148

9 भा ट स 1860

149

10 भा ट स 1860

323

(vi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No.(क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address(पता)

Identification (पहचान):

Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

S.No.	FIR No.	State	District	Police Station	Description Of Case	Details Of Conviction / Acquittal
(क्र.सं.)	(फ.सू.रि.सं.)	(राज्य)	(जिला)	(थाना)	(मामले का विवरण)	(सजा / आरोपमुक्त का विवरण)

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name(नाम): सुरेन्द्र वसार्ती

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1970

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार)

Address(पता)

1 वर्तमान पता

श्यामपुरी, धोवीघाट, आनन्दपुरी कालोनी, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

2 न्यायी पता

श्यामपुरी, धोवीघाट, आनन्दपुरी कालोनी, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हॉ

Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि जात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court (न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections (अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा द स 1860	420
2	भा द स 1860	467
3	भा द स 1860	468
4	भा द स 1860	471
5	भा द स 1860	504
6	भा द स 1860	506
7	भा द स 1860	147
8	भा द स 1860	148
9	भा द स 1860	149
10	भा द स 1860	323

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No.(क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र. ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

S.No.	FIR No.	State	District	Police Station	Description Of Case	Details Of Conviction / Acquittal
(क्र.सं.)	(प्र.सू.रि.सं.)	(राज्य)	(ज़िला)	(थाना)	(मामले का विवरण)	(सजा / आरोपमुक्त का विवरण)

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

(क्र.सं.): 3

(i) Name(नाम): हर्षित

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1987

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार)

Address(पता)

1 वर्तमान पता

वीर नगर, टिगम्वर कालोनी, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

वीर नगर, टिगम्वर कालोनी, सदर बाजार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest (गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.) Acts(अधिनियम)

Sections(धाराएँ)

1 भा ट स 1860

420

2 भा ट स 1860

467

3 भा ट स 1860

468

4 भा ट स 1860

471

5 भा ट स 1860

504

6 भा ट स 1860

506

7 भा ट स 1860

147

8 भा ट स 1860

148

9 भा ट स 1860

149

10 भा ट स 1860

323

है।

17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस): नही


(Acknowledgement to be placed)(पावती नक्की करे):

18. Despatched on (प्रेषण की तिथि): 26/06/2022

19. No. of enclosures (संलग्नको की संख्या): 2

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची): IIF 1.pdf, IIF 2.pdf

Date(दिनांक):



Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS SADAR

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404194

Forwarded by Officer in charge

(प्रभारी अधिकारी द्वारा अहोपित)

Name (नाम): PS SADAR

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454404194

योगेश शर्मा

प्रभारी निरीक्षक

थाणा मण्डी, सहारनपुर

26/6/22

To cc



CO-I

बाप सरका 13531/2022

मु. सं. सं. 202/22

13-7-22

बाप 420.467468 471 729.147148.119.119

या-पड लमट बाजल

F-54513/22

UFC/04055308000

R-23243/22

अनाद

- 1) शैली काभोज उर्फ विष्णु डा. जसवत सिंह काभोजां पी. रामचंद्र उभयान नगर वाम मोरवाली नगर सहायक
- 2) सुरेन्द्र बगही डा. वृज नारा पी. रामचंद्र मोरवां चार नगर पुर्व नगर वाम नरसी सहायक
- 3) दशित जैन डा. प्रदीप कुमार पी. वीर नगर (किरात नगर) वाम नरसी सहायक

29-6-22

राज्य दिनांक 29-6-22 को अग्निपूर गांव जेका से तलव है दलित मंत्री कोपे (बनेचक डाय मयेप पर प्रशाप हेतु न्यायालय के लक्ष्य प्रस्तुत किया गया सभसे पुत्रि उपरोक्त का पत्रे डाय नवनामन किया गया उपरोक्त अग्निपूर गांव शैली, दशित व सुरेन्द्र के विरुद्ध बाप उपरोक्त में प्रशाप लेन का आव्याह पुपाह है अग्निपूर दशित जमानत पर है मतः प्रशाप उपरोक्त बायको में लिया गया फते रही है अग्निपूर सुरेन्द्र व शैली का बाप उ०१ एफिआ बाहर तपाह है तथा अग्नि दशित डाय लक्षण तलव है अग्निपूर है पतावाली बापे गजुलाह दिनांक 13-7-22 को पेश है

(1)
29-6-22

(F)

एनेकजर 5A

4

सहायनपुर

पु-माफिक

प्रवीण कुमार जैन पुत्र
स्व० मेहरचन्द जैन निवासी वीर
नगर जैन वाग थाना मण्डी
जनपद सदाहनपुर

पु०अ०सं०	46/2008	वाग 3/4	वाग नं०-1, पुआ जी०न०यम थाना मण्डी सदाहनपुर
पु०अ०सं०	209/2010	वाग 120बी, 384, 420, 462, 468, 471	वाग नं० थाना मण्डी सदाहनपुर
पु०अ०सं०	858/2018	वाग 138	वाग नं० जी०न०यम थाना मण्डी जनपद सदाहनपुर
पु०अ०सं०	226/2019	वाग 120बी, 420, 462, 468, 471, 506	वाग नं० थाना सदाहनपुर सदाहनपुर
पु०अ०सं०	484/2020	वाग 120बी, 420, 462, 468, 471, 506	वाग नं० थाना सदाहनपुर सदाहनपुर
पु०अ०सं०	202/2022	वाग 420, 462, 468, 471, 504, 506, 142, 148, 149, 323	वाग नं० थाना सदाहनपुर सदाहनपुर
पु०अ०सं०	181/2022	वाग 120बी, 142, 153B, 323, 420, 462, 468, 471, 504, 506	वाग नं० थाना मण्डी सदाहनपुर



Details

Edit



Praveen Jain /Meenu Jain



Call



Send Message

+919456979616

Uttarakhand Mobile Telephony

- Incoming 39sec 2022-05-03 08:59 AM
- Missed Rang for 40sec 2022-01-02 02:59 PM
- Incoming 1m49sec 2021-12-25 05:43 PM
- Did not connect 2021-12-25 05:43 PM
- Missed Rang for 28sec 2021-12-25 05:12 PM

एनेकजर - 8



एनएमए-9

11/4/22

17.9.2022

624

प्रेषक,

अनिल कुमार XI
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
सहारनपुर।

विषय- प्रार्थी प्रवीण जैन के स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या-583/2022 पर पारित माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 07.09.2022 के अनुपालन में वांछित आख्या के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रार्थी प्रवीण जैन के प्रार्थनापत्र पर माननीय महोदय के आदेश दिनांकित 07.09.2022 के अनुपालन में ससम्मान विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामले में दिनांक 28.07.2022 को प्रवीण कुमार पुत्र मेहरचंद निवासी जैन बाग वीर नगर, थाना मण्डी सहारनपुर की ओर से विपक्षीय तुषार जैन एवं 5 अन्य के विरुद्ध दिनांक 03.06.2022 की कथित घटना दिखाते हुए परिवाद संस्थित किया गया था। न्यायालय में परिवाद संस्थित किये जाते समय परिवादी स्वयं उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा उक्त परिवादी को उपस्थित कराने हेतु बार-बार पुकार करायी गयी।

परिवाद कथानक को पढ़ने से स्पष्ट हुआ कि कथित घटनाक्रम प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसमें दिनांक 03.06.2022 को न्यायालय परिसर में ही समय 04:00-04:30 बजे आरोपित 6 लोगों द्वारा एम0ए0सी0टी0 कोर्ट के बाहर सरिये व डण्डे से जान से मारने की नीयत से घटनाक्रम दर्शित किया गया था, जबकि न्यायालय परिसर में लगभग 60 से अधिक पुलिसकर्मी व पी0ए0सी0 के कर्मी व अन्य अनेक पुलिसकर्मी, कोर्ट मोहररि, पैरोकार आदि हरसमय तैनात रहते हैं। यदि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम उक्त तिथि पर हुआ होता तो न्यायालय में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उक्त की जानकारी अवश्य हो जाती। परिवाद कथानक की गहनता से जांच किये जाने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत मामले में परिवादी ने अपना सही नाम भी दर्शित नहीं किया था जहां स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में परिवादी ने अपना नाम प्रवीण जैन अंकित किया है वहीं न्यायालय में पारित परिवाद दिनांकित 27.07.2022 में अपना नाम प्रवीण कुमार लिखा था।

न्यायालय में ही मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रवीण कुमार जैन के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्ल्यू0 की आदेशिकाएं जारी की गयी हैं। कार्यालय से उक्त आदेश तलब किये जाने पर विदित हुआ कि श्री संदीप कुमार उपनिरीक्षक थाना मण्डी के प्रार्थनापत्र के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या-1202/2022 अंतर्गत क्रम 420,467,468,471,147,148,149,504 506,323 भा0दं0सं0 में कार्यालय लिपिक एवं माननीय सत्र न्यायाधीश के सत्र लिपिक की आख्या के पश्चात् न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.07.2022 के द्वारा फरार अभियुक्तगण प्रवीण जैन पुत्र मेहर चंद निवासी जैन बाग वीरनगर थाना मण्डी सहारनपुर व विकारु शर्मा पुत्र तिलकराज निवासी गोपाल नगर तुमईश नगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर के विरुद्ध एन0बी0डब्ल्यू0 की आदेशिकाएं जारी की गयी थीं। (न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.07.2022 की छायाप्रति संलग्न)

उक्त परिवाद न्यायालय में संस्थित किये जाने की तिथि तक उक्त आदेशिकाएं

[Handwritten signature]
17/09/2022

निरस्त किये जाने का कोई आदेश न्यायालय में उक्त मामले के अभियुक्त प्रवीण प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा उक्त अधिकारी को उक्त उपस्थित होने के लिए कहा गया, किन्तु वह उपस्थित नहीं आया और साथ ही उक्त मामले में परिवादी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-202/2022 के समर्थन में दिनांक 07-09-2022 को अर्थात् न्यायालय में परिवार संस्थित किये जाने के तत्पश्चात् दिनांक 07-09-2022 पश्चात् गाननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुकदमे संख्या-11337/2022 में प्रवीण कुमार जैन एवं तीन अन्य नामों के मुकदमों में उक्त अन्य में पारित आदेश दिनांकित 01.09.2022 दाखिल किया गया कि उक्त आदेश का प्रभाव उक्त तिथि तक प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश करित किया गया और अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त तिथि पर ही उक्त के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिया गया। स्पष्ट है कि जिस तिथि पर परिवादी द्वारा परिवार न्यायालय में उक्त मुकदमों में उक्त उक्त तिथि पर मु0अ0सं0-202/2022 के सम्बन्ध में दिल्ली में प्रकाशित किये गये आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था।

परिवादी/प्रार्थी जो कई मामलों में स्वयं व उसका पुत्र अभियुक्त के रूप में आरोपित हैं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने के पैरोकार द्वारा उक्त कथन किया गया कि उक्त अपराधिक प्रवृत्ति का मुकदमेवाज व्यक्ति है जिसके विरुद्ध उक्त मुकदमों में न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त प्रवीण जैन द्वारा भी निम्न-लिखित मामलों में संस्थित कर रखे हैं। अभियुक्त प्रवीण जैन के परिवार में किसी अन्य राज्य में न्यायिक अधिकारी भी है, जिनके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-202/2022 अंतर्गत धारा 420,467,468,471,147,148,149,504,506,323 भा0दं0सं0 में प्रार्थी के पुत्र हर्षित जैन को जमानत प्रदान किये जाने के लिए अनुसंध भी किया गया था जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रार्थी के निकट सम्बन्धी न्यायिक अधिकारी को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण विधिनुसार ही किया जायेगा और अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया था। तभी से यह प्रार्थी/परिवादी व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय से संजिज्ञ मानता है, क्योंकि इस बात है कि इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की शिफारिश आदि व दबाव के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

न्यायालय का प्रयास यथाशीघ्रता से वाद का गुण-दोष पर निस्तारण किये जाने का होता है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध आरोपित समस्त तथ्य पुष्ट असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से दूरे हैं, जिसका रस मात्र अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर अपने मन वांछित हितों को अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना प्रतीत होता है।

पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

आदर सहित।

दिनांक: 17-09-2022

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
17/09/2022
(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य न्यायिक सजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

परिवाद संख्या- 1602/2022
प्रवीन कुमार

बनाम तुषार जैन आदि

अतर्गत धारा 307, 323, 326, 386, 504, 506 भा0द0रा0।
थाना-सदर बाजार, सहारनपुर।


आदेश

28-07-2022

आज यह परिवाद प्रार्थी/परिवादी प्रवीन कुमार की ओर से विपक्षीय तुषार जैन आदि के विरुद्ध जरिए विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुकार कराये जाने पर परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया।

सुना एवं परिवाद पत्र का अवलोकन किया। परिवादी की ओर से गम्भीर धारओं में सौधे ही परिवाद संस्थित किया गया है तथा पुकार कराये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं है। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत होता है, फिर भी न्यायहित में परिवादी को अपना मामला साबित किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार परिवाद पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्तं बयान अतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 दिनांक 26.08.2022 को पेश हो।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

11

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

न्यायालय श्रीमान सी0जे0एम0 महोदय, सहारनपुर।

परिवाद संख्या 16012 सन 2022

प्रवीन कुमार उम्र 56 साल पुत्र मेहरचंद निवासी जैन बाग वीर नगर ,थाना मण्डी सहारनपुर। आधार संख्या 7132 1615 4454 —परिवादी

बनाम

1-तुषार जैन पुत्र स्व0 संजय जैन निवासी अतिथि भवन के पास मौ0 कायस्तान थाना मण्डी सहारनपुर।

2- अमित शर्मा पुत्र लक्ष्मीकांत शर्मा निवासी इमली तला ,रानी बाजार थाना मण्डी सहारनपुर।

3- विजयकांत चौहान पुत्र नामालूम निवासी नुमाईश कैम्प चौक ,थाना को0नगर सहारनपुर।

4- अनिल त्यागी पुत्र महेन्द्र त्यागी निवासी भगवती कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

5- किशोर शर्मा पुत्र विहीशचंद शर्मा निवासी मकान नंबर 5/1297 मौ0 खालापार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

6- अमित ढींगरा पुत्र मदन ढींगरा निवासी मकान नंबर 764 नवादा रोड गली नंबर 3 अंकित विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

—मुलजिमान

परिवाद अंधारा 307, 323, 326, 386, 504, 506

आई पी सी

थाना सदर बाजार

[Handwritten signature]



ADAV
A.vocate
Ch.No...

reg. No. 135
Civil Court, Saharanpur
Mob.-7248687479

श्रीमान जी,

परिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है-



1- यह कि परिवादी का मुलजिमान के साथ मंदिर से संबंधित विवाद चल रहा है जिसमें मुलजिमान परिवादी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे जिसे परिवादी ने इंकार कर दिया जिस कारण मुलजिमान परिवादी से रंजिश रखते चले आ रहे थे और परिवादी को तरह-तरह से धमकी दे रहे थे कि या तो अपना मुकदमा वापस ले ले और हमें दस लाख रुपये दे दे नहीं तो हम तुझे व तेरे परिवार को जान से मारकर रहेगें।

2- यह कि वाका दिनांक 03.06.2022 का है कि परिवादी सिविल कोर्ट सहारनपुर में चल रहे मुकदमें की पैरवी के लिए आया हुआ था और समय करीब शाम 4.00-4.30 बजे के लगभग मुलजिमान एक राय होकर आये और परिवादी को सिविल कोर्ट सहारनपुर परिसर में स्थित एम ए सी टी कोर्ट के बाहर घेर लिया और एक राय होकर कचहरी में चल रहे निर्माण कार्य में पड़े हुए सरिये व डंडे उठाकर परिवादी को जान से मारने की नीयत से मार पीट करना शुरू कर दिया मार पीट में परिवादी के पैर की हड्डी टूट गयी तथा परिवादी गंभीर रूप से घायल हो गया परिवादी के शोर पर मौके पर आस पास के लोग आ गये जिन्होंने शोर किया तो मुलजिमान मौके से भाग गये और धमकी देते हुए गये कि साले या तो मुकदमा वापस ले ले और हमें दस लाख रुपये दे दे वरना आज तो बच गया आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारकर रहेगे परिवादी के पैर की हड्डी टूट गयी थी जिस कारण परिवादी चलने में असमर्थ हो गया और परिवादी ने अपने घर पर फोन किया परिवादी की पत्नी आयी और परिवादी की पत्नी परिवादी को लेकर डॉक्टर के यहां गयी परिवादी मुलजिमान से



इतना भयभीत हो गया था कि परिवादी अपनी जान बचाने के लिए शहर सहारनपुर छोड़कर हरिद्वार व अन्य शहरो में अपना ईलाज कराता रहा।

3- यह कि मुलजिमान बहुत ही दबंग व बदमाश किस्म के लोग है जिस हॉस्पिटल में परिवादी ईलाज कराता है मुलजिमान पता करते हुए वहीं पहुंच जाते है और हॉस्पिटल के आस पास घूमते दिखाई दिये हैं। परिवादी ने दिनांक 03.06.2022 को ही घटना की तहरीर थाना सदर बाजार पर दी थी परन्तु मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मुलजिमान ने परिवादी की पत्नी को भी गाली गलौच करते हुए धमकी दी कि या तो अपने पति को समझा ले कि वह सारे मुकदमे वापस ले ले और हमें दस लाख रुपये दे दे नहीं तो हम तेरे पति को जान से मारकर रहेगें।

4- यह कि परिवादी अब भी मुलजिमान से काफी भयभीत है। परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को भी दस्ती दिया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए परिवादी यह परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। एस एस पी को दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटो कापी साथ संलग्न है।

फैल मुलजिमान खिलाफ कानून व दाखिले जुर्म है।


अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि बाद तलबी व तहकीकात मुलजिमान को तदारुक कानूनी फरमाया जावे। कृपा होगी।


दिनांक 27.07.2022

प्रार्थी-

प्रवीन कुमार पुत्र महेशचंद निवासी जैन बाग
वीर नगर ,थाना मण्डी सहारनपुर।

—परिवादी


KAMAL SINGH YADAV
A. vocate
Reg. No. 7389/16, Ch.No.....
Civil Court, Saharanpur
Mob.-7246033333



[Handwritten signature]

न्यायालय श्रीमान सी०जे०एम० महोदय, सहारनपुर।

परिवाद संख्या

सन 2022

प्रवीन कुमार

बनाम तुषार जैन आदि

अंधारा 307, 323, 326, 386, 504, 506 आई पी सी

थाना सदर बाजार

शपथपत्र ओर से-प्रवीन कुमार उम्र 56 साल पुत्र मेहरचंद निवासी जैन बाग वीर नगर ,थाना मण्डी सहारनपुर।

1- मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मुझ शपथकर्ता का नाम व पता उपरोक्त सब सच व सही है तथा मैं उक्त परिवाद में परिवादी हूँ इसलिए कुल तथ्यों से भली भांति परिचित हूँ।


2- मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि संलग्न परिवाद पत्र में लिखे गये समस्त कथन मेरे जाति इल्म में सब सच व सही है कोई तथ्य झूठा नहीं लिखा गया है तथा परिवाद पत्र में लिखे गये समस्त कथनों की सत्यता की पुष्टि मैं शपथकर्ता अपने इस शपथपत्र के माध्यम से करता हूँ। शपथकर्ता का यह प्रथम परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है तथा परिवाद पर मैंने पढकर /पढवाकर सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर किये है।

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथपत्र के पैरा नम्बर 1 से 2 मेरे जाति इल्म में सब सच व सही है कोई तथ्य झूठ नहीं है न ही छिपाया गया है सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक 27.07.2022

शपथकर्ता- *[Signature]*

शपथकर्ता- *[Signature]*



35
524
DEC 25
28/1/22

[Signature]
KAMAL SINGH YADAV
A_vocate
Reg. No. 7389/16, Ch.No.....
Civil Court, Saharanpur
Mob-7248687479

अंतर्गत घास- 323,324,379,120वीं भाग सं०
थाना- जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

29-03-2022

आज यह पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते बहस तलबी नियत है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को अभियुक्तगण को तलब किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि परिवादी दिनांक 07-02-2022 को समय लगभग 10:30 बजे एस0बी0डी0 अस्पताल सहारनपुर में अपनी छाती और पेट की बाबत ईलाज के लिये गया था, क्योंकि परिवादी अक्सर काफी बीमार रहता है। परिवादी एक धर्म अनुयायी भी है, जो समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन करता रहता है। विपक्षीय दिनांक 07-02-2022 को परिवादी का पीछा करते हुए एस0बी0डी0 अस्पताल पहुंच गये और परिवादी को आपातकालीन वार्ड के पास बने कोविड कक्ष की ओर यह कहकर ले गये कि विपक्षीय को परिवादी के द्वारा योजित वाद सं० 62 सन् 2022 प्रवीण जैन बनाम श्री 1008 नेमिनाथ आदि जो परिवादी द्वारा मा० सिविल जज जू०डि० व नगर सहारनपुर व परिवादी के द्वारा योजित वाद सं० 221 सन् 2019 उदित जैन बनाम श्री 1008 नेमिनाथ जो मा० जिला जज महोदय के समक्ष विचाराधीन है, की बाबत परिवादी से कुछ बात करनी है। विपक्षीय के कहने पर परिवादी चला गया। वहां जाने पर विपक्षीय ने परिवादी के साथ गाली-गलौच करते हुए कहा कि जो मुकदमें परिवादी के द्वारा विपक्षीय के विरुद्ध योजित किये हुए हैं वह परिवादी वापस ले ले जिस पर परिवादी और विपक्षीय के बीच काफी कहा-सुनी हो गई, क्योंकि विपक्षीय श्री 1008 नेमिनाथ मन्दिर समिति मल्हीपुर सहारनपुर की फर्जी रसीदे छपवाकर पैसा इकट्ठा करते हैं व उक्त मन्दिर समिति की जमीन जिसका खंसरा नं० 167 खाता सं० 00642 है, उसको ठेके पर देकर ठेके की समस्त धनराशि को हड़प कर लेते हैं। इसी दौरान विपक्षी सं० 2 मोहनलाल ने परिवादी की छाती पर हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। परिवादी के नीचे गिरने के पश्चात् ही विपक्षी सं० 4 शिवम ने परिवादी की छाती पर मुक्कों से प्रहार किया और विपक्षी सं० 3 व 1 ने परिवादी को थप्पड़ मारते हुए मां-बहन की गंदी-गंदी मालिया दीं। उसके पश्चात् विपक्षीय के साथ आये 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने परिवादी के

गले में पड़ी सोने की चोरी पर अपट्टेन करके तोड़ ली और परिवारों के जेब में रखे 3700 रूपी जबरदस्ती छीन लिये, जिस पर परिवारों के द्वारा शोर मचाने पर मौके पर वसीम व मुजाहिद नामक व्यक्ति व अन्य व्यक्ति आ गये, जिन्हे देखकर विपक्षीयण मौके से भाग गये। जाते-जाते विपक्षीयण ने परिवारों को धमकी दी कि आज तो तुझे इन लोगों ने बचा लिया, आइदा मौका मिलने पर तुझे जान से खत्म कर दंगे और यह भी कहकर गये कि अपने द्वारा योजित सिविल के मुकदमे वापिस ले ले नहीं तो कचहरी वापस जाने लायक नहीं बचेगा। उक्त घटना से परिवारों काफी डर गया और उसे विपक्षीयण से हमेशा ही अपना जान का खतरा बना रहता है, जिस पर परिवारों ने विपक्षीयण के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र मा० वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के यहां दिनांक 07-02-2022 को प्रेषित किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसीलिये न्यायहित में तब परिवारों ने उक्त परिवारों न्यायालय में योजित किया।

परिवारों ने अपने कथानक के समर्थन में स्वयं को धारा 202 दं०प्र०सं० के रूप में तथा गवाहान पी०डब्लू०१ वसीम राजा, पी०डब्लू०२ मुजाहिद व पी०डब्लू०३ बिस्मिल को धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एस०एस०पी० सहारनपुर को भेजे गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति एवं रजिस्ट्री रसीद दाखिल किये है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण विनोद कुमार, मोहनलाल, शिवम, श्रवण द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 323,324,379,120बी भा०दं०सं० कारित किया जाना प्रतीत होता है। अन्य धाराओं में तलब किये जाने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 323,324,379,120बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्तगण विनोद कुमार, मोहनलाल, शिवम, श्रवण व अन्य दो अज्ञात को विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

आदेश

अभियुक्तगण विनोद कुमार, मोहनलाल, शिवम, श्रवण को अपराध अन्तर्गत धारा 323,324,379,120बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु द्वारा समन दिनांक 09-04-2022 के लिए तलब किया जाता है। परिवारों पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
सहारनपुर।

camp by
mukesh

10-5-22

सत्य प्रतिनिधि

मुख्य प्रवक्ता पत्र

सहायक प्रवक्ता पत्र

सहारनपुर



रूप में प्रवीण कुमार जैन, पी०डब्ल्यू-2 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पी०डब्ल्यू-3 के रूप में संदीप कुमार को परीक्षित कराया गया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा- 200 में बयान प्रस्तुत करने में वर्णित कथनों का समर्थन किया है एट दाखिल मौखिक साक्ष्य अं० धारा- 354 बी, 394, 386, 504, 506, 120 बी के कथनों का आंशिक रूप से समर्थन होता है।

मेरे द्वारा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा- 200 व 202 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों व अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त तुषार जैन, अमित शर्मा, संजीव कुमार जैन, अनिल त्यागी, किशोर शर्मा, सारिक हुसैन तथा अमित दींगरा के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा- 354 बी, 394, 386, 504, 506, 120 बी भा०द०सं० का अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तों के विरुद्ध तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

तुषार जैन, अमित शर्मा, संजीव कुमार जैन, अनिल त्यागी, किशोर शर्मा, सारिक हुसैन तथा अमित दींगरा को अं० धारा- 354 बी, 394, 386, 504, 506, 120 बी भा०द०सं० के अंतर्गत तलब किया जाता है। परिवादी द्वारा सूची गवाहोंन दाखिल करने, एवं आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करने के उपरान्त अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी विपक्षीय दिनांक 21.06.2022 को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,

सहारनपुर।